



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05122020-223512

CG-DL-W-05122020-223512

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2020 (अग्रहायण 14, 1942)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5—DECEMBER 11, 2020 (AGRAHAYANA 14, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

सं. ए-12/11/1/भ.वि.-न.सि./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (XXI) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग संवर्गों/पदों), भर्ती विनियमों, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पदों से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (पूर्व में क्रमशः स्टाफ नर्स तथा नर्सिंग सिस्टर) तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता हूँ नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. राष्ट्रीयता—नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को होना चाहिए—
(क) भारत का नागरिक; अथवा
(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता :—

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता ह्य तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया ह्यया विवाह करने का करार किया ह्य जिसका विवाहिती जीवित ह्य अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया ह्यअथवा विवाह करने का करार किया ह्य

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय ह्यऔर ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन ह्य तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सन्निकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित ह्य

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद ह्य अथवा गण्य चयन पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नर्सिंग अधिकारी	2959*(2019) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्याधीन	समूह 'ख', अलिपिकवर्गीय,	वेतन मट्रिक्स में लेवल-7 (44,900-1,42,400 रुपये)	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के

				लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
सीधी भर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हटा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(7)	(8)	(9)	(10)	
अनिवार्य अर्हता : (क) (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी.(ऑनर्स); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग; तथा (II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ (पंजीकृत नर्स या पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ) के रूप में पंजीकृत अथवा (ख) (I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा; (II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ (पंजीकृत नर्स या पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ) के रूप में पंजीकृत; तथा (III) उपर्युक्त (ख) (I) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात् पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : यदि अभ्यर्थी भिन्न प्रकार से सुअर्ह हए तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता शिथिलता योग्य हए। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की राय हए कि आवश्यक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदायों से अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, उनकी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः उपलब्ध नहीं हए इनसे संबंधित अभ्यर्थी के तत्संबंधी मामले लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधित अर्हता शिथिलता योग्य हए।	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी: पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएगी। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित। (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव हो। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी होगी)।	

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना हए	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद हए तो उसकी संरचना क्या हए	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हए
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	स मूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :— (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष (2) निदेशक या संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य (3) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (स्थापना-1), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	1272*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख', अलिपिकवर्गीय,	वेतन मट्रिक्स में लेवल-8 (47,600-1, 51,100 रुपये)	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा: नर्सिंग अधिकारी से पदोन्नति के लिए वेतन मट्रिक्स के लेवल-7 में (44,900-1,42,400) में दो वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत हए उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा हए वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :— (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य (3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हए

<p>अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मट्रिक्स के लेवल-7(44,900-1,42,400) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तत्संबंधी ग्रेड में दो वर्ष की सेवा; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव प्राप्त: अनिवार्य अर्हता : (क)(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी.(ऑनर्स); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग; तथा (II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़ (पंजीकृत नर्स या पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा (III) उपर्युक्त (क)(I) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अथवा (ख)(I) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफ़री में डिप्लोमा; (II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़(पंजीकृत नर्स या पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा (III) उपर्युक्त (ख)(I) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव. टिप्पणी 3: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 4 : समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी होगी।</p>	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक नर्सिंग अधीक्षक	279*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'क', अलिपिकवर्गीय,	वेतन मट्रिक्स में लेवल-10 (56,100-1, 77,500 रुपये)	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति द्वारा:</p> <p>वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी से पदोन्नति के लिए वेतन मट्रिक्स के लेवल-8 में (47,600-1, 51,100) में दो वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>टिप्पणी 1 : सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी।</p> <p>टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी जो :</p> <p>(क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो ; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मट्रिक्स के लेवल-8 (47,600-1,51,100) अथवा लेवल-9(53,100-1,67,800)के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तत्संबंधी ग्रेड में दो वर्ष की सेवा; तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव प्राप्त हो :</p> <p>अनिवार्य अर्हता :</p> <p>(क)(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी.(ऑनर्स); अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग; तथा</p> <p>(II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़ (पंजीकृत नर्स या पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा</p> <p>(III) उपर्युक्त (क)(I) में उल्लिखित शक्ति अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :-</p> <p>(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग</p> <p>—अध्यक्ष</p> <p>(2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p> <p>(3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :-</p> <p>(1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—अध्यक्ष</p> <p>(2) निदेशक या संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p> <p>(3) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (स्थापना-1), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

<p>अथवा</p> <p>(ख)(I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा; तथा</p> <p>(II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ(पंजीकृत नर्स या पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ) के रूप में पंजीकृत; तथा</p> <p>(III) उपर्युक्त (ख)(I) में उल्लिखित शक्ति अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात् पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 3: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 4 : समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी होगी।</p>		
--	--	--

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

सं. ए-12/11/8/भ.वि.-ई.सी.जी./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.) पद से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता हूँ नामतः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- निरहता— ऐसा कोई व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हूँ या विवाह करने का करार किया हूँ जिसका विवाहिती जीवित हूँ अथवा
(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हूँ अथवा विवाह करने का करार किया हूँ उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हूँ और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।
- शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हूँ तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

6. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मट्रिक्स में लेवल।	क्या चयन पद ह्राअथवा गण चयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.)।	1*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन।	समूह 'ख', गण-अनुसचिवीय।	वेतन मट्रिक्स में लेवल-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शक्तिक तथा अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शक्तिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा ह्रा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति। वेतन मट्रिक्स के लेवल-5 (29,200-92,300 रुपये) में विभागीय रेडियोग्राफर तथा उसी लेवल में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित। टिप्पणी 1 : वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.) के पद की इयूटी के क्षेत्र में पदोन्नति के अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना। दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति हेतु ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट होगी। बशर्त विभागीय पदोन्नति समिति की बढक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बढक की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्त अपेक्षित अर्हक अथवा

				पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।
--	--	--	--	---

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद हएतो उसकी संरचना क्या हए	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हए
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य (3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हए
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष (2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य (3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

दिनांक 9 नवम्बर 2020

सं. ए-12(11)4/2016-स्था. I.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम कनिष्ठ अभियंता(सिविल/इलैक्ट्रिकल) भर्ती विनियम, 1993 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कनिष्ठ अभियंता(सिविल) तथा कनिष्ठ अभियंता(इलैक्ट्रिकल) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कनिष्ठ अभियंता(सिविल) और कनिष्ठ अभियंता(इलैक्ट्रिकल) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- राष्ट्रीयता.— अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए —
(क) भारत का नागरिक; अथवा

- (ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो समय-समय पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिसूचित की गई हों।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. शारीरिक स्वस्थता-
 (1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।
 (2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- टिप्पणी: शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।
6. निरर्हता- ऐसा कोई व्यक्ति-
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
 (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।
7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति- जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
8. व्यावृत्ति- इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	122* *(2020) कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख', गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35,400-1,12,400 रुपये)	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया गया
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अथवा डिग्री। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष। टिप्पणी: परिवीक्षा के सफल समापन के भाग के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा यथा-निर्धारित तथा प्रायोजित सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएगी : (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी ; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित पात्रता तथा अनुभव धारक। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष (2) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) अथवा निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अथवा संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	
(3) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, (स्थापना-I), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रिकल)	68* *(2020)कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख', गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35,400-1,12,400 रुपये)	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अथवा डिग्री। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष । टिप्पणी: परिवीक्षा के सफल समापन के भाग के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा यथा-निर्धारित तथा प्रायोजित सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएगी:- (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित पात्रता तथा अनुभव धारक। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष (2) अपर आयुक्त(चिकित्सा प्रशासन) अथवा निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अथवा संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम	—सदस्य
(3) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, (स्थापना-1), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	—सदस्य

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

सं. ए-12(11)4/2016-स्था.-1-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे आहारविद् पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आहारविद् के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आहारविद्, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- राष्ट्रीयता.— अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए —
(क) भारत का नागरिक; अथवा
(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो समय-समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिसूचित की गई हों।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- शारीरिक स्वस्थता.—
(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।
(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।
टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।
- निरर्हता.— ऐसा कोई व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।
- शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति.— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- व्यावृत्ति.— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आहारविद्	32* *(2020) कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ख', गैर-अनुसचिवीय	लेवल-7 (44,900-1,42,400 रुपये)	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी.- आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया गया
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहारिकी या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहारिकी या आहारिकी और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री या (ख)(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहारिकी या खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहारिकी या आहारिकी और खाद्य सेवा प्रबंधन में बी.एससी. और (II) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहारिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और (III) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के अधीन 100 बिस्तर वाले अस्पताल में आहारिकी में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष टिप्पणी : परिवीक्षा के सफल समापन के भाग के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा यथा-निर्धारित तथा प्रायोजित सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं

टिप्पणी 2 : अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामलों में यदि चयन के किसी भी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की संभावना है तो तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है।				
--	--	--	--	--

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन –	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
(1) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम –अध्यक्ष	
(2) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन)/निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम –सदस्य	
(3) निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (स्थापना-I) (मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम –सदस्य	

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

दिनांक 10 नवम्बर 2020

सं. ए-12(11)10/2015-स्था.1.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्टाफ कार चालक (भर्ती) विनियम, 1994 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में स्टाफ कार चालक ग्रेड I, स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्टाफ कार चालक ग्रेड I, स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- राष्ट्रीयता.— अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए –
(क) भारत का नागरिक; अथवा
(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो समय-समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिसूचित की गई हों।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- शारीरिक स्वस्थता.—

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता.— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति.— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति.— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टाफ कार चालक ग्रेड I	14*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन	समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 (29,200-92,300 रुपये)	गैर-चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति	पदोन्नति : स्टाफ कार चालक ग्रेड II वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 (25,500-81,100 रुपये) के ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा स्टाफ कार चालक ग्रेड II और स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) में संयुक्त सेवा पंद्रह वर्ष की हो तथा कर्मचारी	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- 1. क्षेत्रीय निदेशक या निदेशक, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम -अध्यक्ष 2. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम -सदस्य	लागू नहीं

			राज्य बीमा निगम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उपयुक्त पद का अधिकारी —सदस्य	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार चालक ग्रेड II	13* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन।	समूह 'ग', गैर-अनुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (25,500-81,100 रुपये)	गैर-चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति	पदोन्नति : स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 (19,900-63,200 रुपये के ग्रेड में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	पदोन्नति के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन:- 1. क्षेत्रीय निदेशक या निदेशक, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष 2. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य 3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उपयुक्त पद का अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)	13* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	समूह 'ग', गैर-अनुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 (19,900-63,200 रुपये)	लागू नहीं

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-27 वर्ष। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप खण्ड तथा	अनिवार्य अर्हता : (i) मोटर कारों के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति का होना। (ii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी खराबी को दूर करने के योग्य होना चाहिए) (iii) किसी मोटर कार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तथा (iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय : होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामलों में यदि चयन के	लागू नहीं	दो वर्ष	आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

लाहौल और स्पीति जिला तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।	किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हता(एँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय है/हैं।			
--	---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
आमेलन : वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900 रुपये) में लेवल 1 में क.रा.बी. निगम में नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जिनके पास कॉलम (7) में दर्शाई गई पात्रता है, उनके मध्य से स्टाफ कार चालन में अनिवार्य माने गए सक्षमता के मानक के संबंध में पद के लिए उपयुक्तता का निर्णय करने हेतु डिज़ाइन किए गए चालन परीक्षण के परिणाम के आधार पर आमेलन द्वारा।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- 1. क्षेत्रीय निदेशक या निदेशक, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम -अध्यक्ष 2. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम -सदस्य 3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उपयुक्त पद का एक अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

सं. ए-12(11)10/2015-स्था.1.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम बहु-कार्य स्टाफ भर्ती विनियम, 2011 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बहु-कार्य स्टाफ के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बहु-कार्य स्टाफ भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- राष्ट्रीयता.— अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए —
(क) भारत का नागरिक; अथवा
(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो समय-समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिसूचित की गई हों।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और तत्संबंधी अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- शारीरिक स्वस्थता.—
(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।
(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता.— ऐसा कोई व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति.— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति.— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य स्टाफ	3142* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन)	समूह 'ग', अराजपत्रित गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 1 (18,000—56,900 रुपये)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप खण्ड तथा लाहौल और स्पीति जिला तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिस अंतिम तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिक अथवा उसके समतुल्य परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण।

क्या सीधे भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया गया।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	<p>समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :-</p> <p>1. क्षेत्रीय निदेशक अथवा निदेशक, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष</p> <p>2. उप निदेशक(प्रशासन) अथवा उप निदेशक(चिकित्सा) अथवा उप निदेशक (सामान्य), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य</p> <p>3. सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन —सदस्य</p>	लागू नहीं

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 19th October 2020

No. A-12/11/1/RR-N.S./2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation, (Nursing cadres/Posts), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the post of Staff Nurse, Nursing Sister and Assistant Nursing Superintendent, excepts as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Nursing Officer, Senior Nursing Officer (erstwhile Staff Nurse and Nursing Sister respectively) and Assistant Nursing Superintendent in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Nursing Officer, Senior Nursing Officer and Assistant Nursing Superintendent), Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality. - A candidate for appointment must be: —

(a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax. - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, and after obtaining specific prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification.	Level in the Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nursing Officer	2959* (2019) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400)	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation and Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential qualification:</p> <p>(A)(I) B.Sc.(Hons) in Nursing from a recognised University or Institute; or regular course in B.Sc. Nursing from a recognised University or Institute; or Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or Institute; and</p> <p>(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife (registered Nurse or registered Nurse & registered Midwife) with State Nursing Council.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(B)(I) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised Board or Council;</p> <p>(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife (registered Nurse or registered Nurse & registered Midwife) from State Nursing Council; and</p> <p>(iii) One year experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mention at (B)(I) above.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing. In case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government;</p> <p>(A)(I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(B) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Director or Joint Director (Medical Administration), Headquarters, Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Director or Joint Director or Deputy Director (Establishment-1), Headquarters, Employees' State Insurance Corporation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Nursing Officer	1272* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B', Non -Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
By promotion; Promotion from Nursing Officer with two years of regular service in level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Senior Nursing Officer, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation (including short-term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. -Member; 3. Insurance Commissioner (Personnel and administration), Employees' State Insurance Corporation. -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

<p>Essential qualification:</p> <p>(A) (I) B.Sc.(Hons) in Nursing from a recognised University or Institute; or regular course in B.Sc. Nursing from a recognised University or Institute; or Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or Institute; and</p> <p>(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife (Registered Nurse or Registered Nurse & Registered Midwife) with State Nursing Council; and</p> <p>(III) one year experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mention at (A)(I) above.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(B) (I) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised Board or Council;</p> <p>(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife (Registered Nurse or Registered Nurse & Registered Midwife) from State Nursing Council; and</p> <p>(III) two years experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mention at (B)(I) above.</p> <p>Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 4: Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.</p>	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Nursing Superintendent	279* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A' Non-Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

(11)	(12)	(13)
<p>By promotion;</p> <p>Promotion from Senior Nursing Officer with two years of regular service in level-8 (Rs. 47,600-1,51,100) in the pay matrix.</p> <p>Note 1: For promotion to the post of Assistant Nursing Superintendent, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. -Member; 3. Insurance Commissioner (Personnel and administration), Employees' State Insurance Corporation. -Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p>

<p>next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By Deputation (including short-term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-8 (Rs. 47,600-1,51,100) or level-9 (Rs. 53,100-1,67,800) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential qualification: (A)(I) B.Sc. (Hons) in Nursing from a recognised University or Institute; or regular course in B.Sc. Nursing from a recognised University or Institute; or Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or Institute; and (II) registered as a nurse or nurse and mid-wife (Registered Nurse or Registered Nurse & Registered Midwife) with State Nursing Council; and (III) two years experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mention at (A) (I) above.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(B) (I) Diploma in General Nursing Mid-wife from a recognised Board or Council; and (II) registered as a nurse or nurse and mid-wife (Registered Nurse or Registered Nurse & Registered Mid-wife) from State Nursing Council; and (III) three years experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mention at (B)(I) above.</p> <p>Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 4: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Chairman;</p> <p>2. Director or Joint Director (Medical Administration), Headquarters, Employees' State Insurance Corporation -Member;</p> <p>3. Director or Joint Director or Deputy Director (Establishment-1), Headquarters, Employees' State Insurance Corporation -Member.</p>	
--	---	--

ANURADHA PRASAD
Director General

No. A-12/11/8/RR-ECG/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the posts of Senior Technical Assistant (ECG), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Senior Technical Assistant (ECG) in Employees' State Insurance Corporation, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Senior Technical Assistant (ECG), Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. - No person, —
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
5. Power to relax. - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, and after obtaining specific prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Technical Assistant (ECG).	01*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-ministerial.	Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By Promotion.	PROMOTION: The departmental Senior ECG Technician in Level-5 in pay matrix (Rs. 29,200-92,300) with six years of regular service rendered in the grade. Note 1: Successful completion of mandatory training of promotion in the field of duties of the post of Senior Technical Assistant (ECG). Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of departmental promotion committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of departmental promotion committee.

				Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. -Member; 3. Insurance Commissioner (Personnel & Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Insurance Commissioner (Personnel & Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

ANURADHA PRASAD
Director General

The 9th November 2020

No. A-12(11)4/2016-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Junior Engineer (Civil/Electrical) Recruitment Regulations, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation with the approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical) in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical) Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality.— A candidate for appointment must be: —

(a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of post, classification and level in Pay Matrix.— The number of the said post, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. The method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness.— (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be the same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification.— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.— Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, after taking prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

8. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Engineer (Civil)	122* * (2020) Subject to variation dependent on work load.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants up to five years in	Essential: Diploma or Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public

					accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) The crucial date of determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.	Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years. Note : Mandatory induction training as prescribed and sponsored by Employees' State Insurance Corporation as part of successful completion of probation.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (A) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for	Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation - Chairman; 2. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration) or Joint Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation - Member; 3. Director or Joint Director or Deputy Director (Establishment-I), Hqrs, Employees' State Insurance	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

		appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		Corporation - Member.	
--	--	---	--	-----------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Engineer (Electrical)	68* *(2020) Subject to variation dependent on work load.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) The crucial date of determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.	Essential: Diploma or Degree in Electrical Engineering from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years. Note: Mandatory induction training as prescribed and sponsored by Employees' State Insurance Corporation as part of successful completion of probation.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (A) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment	Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation - Chairman; 2. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration) or Joint Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

		in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		- Member; 3. Director or Joint Director or Deputy Director (Establishment-I), Hqrs, Employees' State Insurance Corporation - Member.	
--	--	--	--	--	--

ANURADHA PRASAD
Director General

No. A-12(11)4/2016-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the post of Dietician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dietician in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Dietician, Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality.— A candidate for appointment must be :—

(a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix. —The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. — (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be the same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. —No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, after taking prior approval of Central Government, and in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings. — Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Dietician	32* *(2020) Subject to variation dependent on workload.	Group B, Non-Ministerial.	Level -7 (Rs. 44,900-1,42,400)

Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits			
(5)	(6)	(7)			
Not applicable.	Not exceeding Thirty years. (Relaxable for Government servants and employees of Employees' State Insurance Corporation upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.— The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.	<p>(A) Master degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognised University or Institute;</p> <p>or</p> <p>(B) (I) B. Sc. in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognised University or Institute; and</p> <p>(II) Post-graduate diploma in Dietetics from a recognised University or Institute; and</p> <p>(III) One-year practical experience in Dietetics in a 100-bedded hospital under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertaking or recognised Universities or Research Institutions.</p> <p>Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years Note: Mandatory	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting	Consultation with Union Public Service Commission

	induction training for direct recruitment as prescribed and sponsored by Employees' State Insurance Corporation as part of successful completion of probation.			of— 1. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation - Chairman 2. Additional Commissioner (Medical Administration)/ Director (Medical Administration) / Joint Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation - Member 3. Director /Joint Director/Deputy Director (Establishment. I) (Hqrs), Employees' State Insurance Corporation - Member.	necessary.
--	--	--	--	---	------------

ANURADHA PRASAD Director
General

The 10th November 2020

No. A-12(11)10/2015-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Staff Car Drivers (Recruitment) Regulations, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Employees' State Insurance Corporation, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Staff Car Driver Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Nationality.— A candidate for appointment must be: —
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
4. The method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. Physical fitness.— (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.
(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be the same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification.— No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.— Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.
8. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of Post.	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Staff Car Driver Grade I	14* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs. 29,200-92,300)	Non-Selection	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade II in Level 4 (Rs. 25,500-81,100) with 6 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test specified by the Employees' State Insurance Corporation.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Regional Director or Director, Headquarters, Employees' State Insurance Corporation. - Chairman 2. Deputy Director, Employees' State Insurance Corporation. - Member 3. An Officer of appropriate rank from Employees' Provident Fund Organisation. - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Staff Car Driver Grade II	13* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100)	Non-Selection	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion.	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level 2 (Rs. 19,900-63,200) in Pay Matrix with 9 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Employees' State Insurance Corporation.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion: 1. Regional Director or Director, Headquarters, Employees' State Insurance Corporation. - Chairman 2. Deputy Director. Employees' State Insurance Corporation - Member 3. An Officer of appropriate rank from Employees' Provident Fund Organisation. - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	13* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-27 years. (Relaxable in the case of employees of the Employees' State Insurance Corporation and government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and	Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars. (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle). (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10 th standard pass from recognised Board. Desirable: Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent	Not applicable.	Two years.	By absorption failing which by direct recruitment.

not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and the union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)	authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			
(11)	(12)	(13)		
Absorption: By absorption on the result of test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standard of competence considered essential in driving of Staff Car from amongst the regular Group 'C' employees in the Employees' State Insurance Corporation in level 1 in pay matrix (Rs. 18,000-56,900) who possess the qualifications in column (7).	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation consisting of :- 1. Regional Director or Director, Headquarters, Employees' State Insurance Corporation - Chairman 2. Deputy Director, Employees' State Insurance Corporation - Member 3. An Officer of appropriate rank from Employees' Provident Fund Organisation. - Member	Not applicable.		

ANURADHA PRASAD
Director General

No. A-12(11)10/2015-Estt. I.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Multi-tasking Staff Recruitment Regulations, 2011 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Multi-Tasking Staff in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Multi -Tasking Staff Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Nationality.— A candidate for appointment must be :—
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
4. The method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. Physical fitness. — (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be the same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. — No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.— Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.
8. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of Post.	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ulti-Tasking Staff	3142 * (2020) *(subject to variation dependent on work load)	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56,900)	Not applicable.	Between 18 and 25 years. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, and the union	Matriculation or equivalent pass from recognised Board.

					territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Regional Director or Director, Headquarters, Employees' State Insurance Corporation - Chairman 2. Deputy Director (Administration) or Deputy Director (Medical) or Deputy Director (General), Employees' State Insurance Corporation - Member 3. Assistant Provident Fund Commissioner, Employees' Provident Fund Organisation. - Member	Not applicable.

ANURADHA PRASAD

Director General